रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 324] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 1972/आषाढ़ 14, 1894
No. 324] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 1972/ASADHA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Internal Trade)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 5th July 1972

S.O. 474(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry, No. S.R.O. 241 dated the 25th January, 1955, namely :—

In the said notification, the entry "(iii) mowrasced" shall be omitted.

[No. 10(2)-IT/72-I.]

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(आन्तरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1972

का० आ० 474(अ).—अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना

सं० का० नि० आ० 241 तारीख 25 जनवरी, 1955 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "(iii) महुआ बीज" शब्दावली लुप्त की जाएगी ।

[सं० 10(2)—आई० टी०/72—I]

S.O. 475(E).—In exercise of the powers conferred by section 17, read with section 16 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) the Central Government hereby declares that no person shall, save with the permission of the Central Government, enter into any forward contract for the sale or purchase of (i) mowraseed (mahuaseed), (ii) mowraseed oil (mahuaseed oil) and (iii) gram husk (gram chilka) in any place in India, and fixes, under clause (a) of the said section 16, the rate prevailing at the time at which the forward market in the said commodities closed on the date of this notification, or, if there was no trading on that date, on the last preceding date of trading, as the rate at which any such forward contract entered into on or before the date of this notification and remaining to be performed after the said date shall be deemed to be closed.

[No. F. 10(2)-IT/72-II.]

का० आ० 475(अ).—अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 (1952 का 74) की धारा 16 के साथ पठित धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कोई भी व्यक्ति सिवाय केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के, (i) महुआ बीज, (ii) महुआ बीज का तेल और (iii) चने के छिलके के विक्रय और खरीद के लिए भारत के किसी भी भाग में अग्रिम संविदा नहीं करेगा और उक्त धारा 16 के उपखण्ड (क) के अधीन नियत करती है, इस अधिसूचना की तारीख को उक्त वस्तु के अग्रिम बाजार के बन्द होने के समय प्रचलित दर, या उस तारीख को कोई व्यापार नहीं हुआ था तो व्यापार की पिछली पूर्ववर्ती तारीख को, ऐसी दर जिस पर इस अधिसूचना की तारीख को या पूर्व ऐसा कोई अग्रिम संविदा किया गया हो और उक्त तारीख के पश्चात पूरा किया जाना हो, बंद हुआ समझा जाएगा ।

[सं० का० 10(2)—आई०टी०/72—II]

S.O. 476(E).—Whereas forward contracts for the sale or purchase of (i) mowraseed (mahuaseed), (ii) mowraseed oil (mahuaseed oil) and (iii) gram husk (gram chilka) in any place in India have been prohibited by the notification of the Government of India, in the Ministry of Industrial Development, No. 10(2)-IT/72-II, dated the 5th July, 1972;

And whereas the Central Government is of the opinion that in the interest of the trade and in the public interest, it is expedient to regulate and control non-transferable specific delivery contracts in respect of the said commodities;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 18 of the Forward Contracts (Regulation) Act 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby declares that the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 17 of the said Act, shall apply to non-transferable specific delivery contracts in respect of the said commodities in the whole of India.

[No. F. 10(2)-IT/72-III.]

का० आ० 476(अ).—यतः भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं० 10(2)—आई० टी०/72—II, तारीख 5 जुलाई, 1972 द्वारा भारत के किसी भी भाग में (i) महुआ बीज (ii) महुआ बीज का तेल और (iii) चने के छिलके के विक्रय और खरीद का अग्रिम संविदा प्रतिषिद्ध कर दिया गया है;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि व्यापार के हित में और लोक हित में उक्त वस्तुओं के संबंध में अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं का विनियमन और नियंत्रण समीचीन है;

अत, अब, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 18 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधाराएं (1) और (2) के उपबंध उक्त वस्तुओं के संबंध में अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं पर पूर्ण भारत में लागू होंगे।

[सं० फा० 10(2)–आई०टी०/72–III]

S.O. 477(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 17 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), as applied to non-transferable specific delivery contracts in respect of (i) mowraseed (mahuaseed), (ii) mowraseed oil (Mahuaseed oil) and (iii) gram husk (gram chilka) by the notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development, (Department of internal Trade) No. 10(2)-I.T./72-III, dated the 5th July, 1972, the Central Government hereby declares that no person shall, save with the permission of the Central Government, enter into any non-transferable specific delivery contract for the sale or purchase of the said commodities in the whole of India except the following classes of such contracts:

(i) Any non-transferable specific delivery contract for the sale or purchase of the said commodities which is performed wholly by actual tendering of goods and the payment of the full price therefor; and (ii) any non-transferable specific delivery contract for the sale or purchase of the said commodities under which actual tendering of goods becomes impossible or unlawful owing to circumstances over which the contracting parties have no control.

[No. F. 10(2)-IT/72-IV.]

K. BALACHANDRAN, Addl. Secy.

का० आ० 477(अ).—अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1972 (1972 का 74) की धारा 17 की उपधारा (1), जैसा कि (i) महुआ बीज, (ii) महुआ बीज का तेल, और (iii) चने के छिलके के संबंध में अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं पर, भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय (आंतरिक व्यापार विभाग) की अधिसूचना सं० 10(2)–आई०टी०/72–III तारीख 5 जुलाई, 1972, द्वारा लागू होती है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कोई भी व्यक्ति भारत सरकार की अनुज्ञा के बिना उक्त वस्तुओं के विक्रय और खरीद के लिए पूर्ण भारत में, सिवाय ऐसे संविदाओं के निम्नलिखित वर्ग के, अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदा नहीं करेगा :—

(i) उक्त वस्तुओं के विक्रय और खरीद के लिए कोई भी अनंतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदा, जो पूर्णरूप से वास्तव में माल देकर और उसकी पूरी कीमत देकर किया जाता हो, तथा

(ii) उक्त वस्तुओं के विक्रय और खरीद के लिये कोई अनंतरणीय विनिर्दिष्ट संविदा, जिसके अधीन वास्तव में माल देना असंभव हो जाता हो या ऐसी परिस्थिति के, जिन पर संविदा के पक्षकारों का बस नहीं था, कारण अवैध हो जाता है।

[सं० फा० 10(2)–आई०टी०/72–IV]

के० बालाचन्द्रन, अपर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972